THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VARMA): (a) Inmarsat phone Mini-M is the new global mobile service supporting voice telephone, fax and data services at 2.4 kbps. Inmarsat phone Mini-M terminals are among the smallest and lightest approximately 2.4 kg. satellite phones as of now.

The cost of the terminal is approximately Rs. 2.75 lakhs. inclusive of all taxes and duties.

(b) DoT accords approvals on case by case basic on merits.

डाक बचत खाता धारकों के लिए नामांकन

1560. **श्री येरा नारायणस्वामी:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक खाता धारक के लिए नामांकन अनिवार्य है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) नामांकन के अभाव में बचत धारक के आश्रित को भुगतान करने के लिए क्या नियम तथा प्रक्रिया है तथा यह भुगतान कितनी समावधि में करने की व्यवस्था है;

(ग) गोल डाकखाना प्रधान डाकघर, नई दिल्ली में ऐसे खाता, धारकों की संख्या क्या है जो नामांकन नहीं करा पाए तथा जिनकी मृत्यु 1 अप्रैल, 1996 से 1 जुलाई, 1997 तक की अवधि के दौरान हो गई है; और

(घ) क्या सरकार ने उनके आश्रितों को भुगतान कर दिया है; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार उनके आश्रितों को कब तक भुगतान करने का विचार रखती है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) डाक बचत खाताधारक के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ख) ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है **(नीचे देखिए)** कोई समयावधि नहीं बताई जा सकती, लेकिन मामलों का तेजी से निपटान किया जाता है।

(ग) केवल दो मामले।

(घ) ऊपर उल्लिखित मामलों में कार्रवाई/जांच की जा रही हैं और जैसे ही कार्रवाई पूरी होगी, भुगतान कर दिया जाएगा।

विवरण-I

(क) वह खाता जिसके सम्बन्ध में नामांकन मौजूद हो:

(I) यदि बचत बैंक खातें के मृतक जमाकर्ता ने कोई नामांकन किया हो और वह डाकघर में दर्ज हो, तो ऐसे मामले में मृतक जमाकर्ता द्वारा नामांकित व्यक्ति मृतक जमाकर्ता के नाम जमा रकम को उसकी मृत्यु के तुरन्त बाद प्राप्त करने का हकदार हो जाते हैं चाहे रकम कुछ भी क्यों न हो उसके लिए उन्हें कोई वैध साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(II) दावेदार को यह सलाह दी जाए कि वह मृतक जमाकर्ता अथवा किसी नामांकित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत्यु, के प्रमाण के साथ नीचे दिए निर्धारित प्रपत्र में दावा पेश करें। यदि दो या दो से अधिक नामांकित व्यक्ति जीवित हैं तो वे संयुक्त रूप से या अलग-अलग दावा कर सकते हैं।

(III) जहां किसी बचत खाते पर देय रकम दो या इससे अधिक नामांकित व्यक्तियों को अदा की जानी हो और उनमें किसी की मृत्यु हो गई हो, तो शेष रकम जीवित नामांकित व्यक्ति को अदा कर दी जाएगी। अंतिम जीवित नामांकित व्यक्ति या एकमात्र नामांकित व्यक्ति को मृत्यु हो जाने पर बचत बैंक खाते के दावे का फैसला अंतिम मृतक नामांकित व्यक्ति के पक्ष में किया जाएगा। मृतक के उत्तराधिकारी के पक्ष में नहीं किया जाएगा।

(IV) डाकघर में आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर पोस्टमास्टर नामांकन रजिस्टर के आधार पर दावे का सत्यापन करेगा और यदि वह दावा सही हो, तो वह नामांकन पर दावे के रजिस्टर, नामांकन के आवेदन-पत्र और लेजर कार्ड में उचित टिप्पणी देने के बाद नामांकित व्यक्तियों को शेष की अदायगी करने के लिए मंजूरी जारी करेगा। जब एक से अधिक नामांकित व्यक्ति हो, तो नामांकित व्यक्तियों को अदायगी कर दी जाए जो खातों में अन्य नामांकित व्यक्ति के भाग को छोड़कर अपना भाग लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में पोस्टमास्टर को पासबुक अपने पास रखनी चाहिए और नामांकित व्यक्तियों, जिन्हें भुगतान कर दिया गया है और जिन्हें भुगतान नहीं किया गया, को अपना भाग लेने के लिए भुगतान की असलियत पासबुक डाकघर के पास है कि सूचना देते हुए अन्य नामांकित व्यक्तियों को नोटिस जारी

करना चाहिए। डाकघर (एस. बी-12) (ग) में जमा में अवितरित पासबुकों के रजिस्टर में पासबुक का इंदराज किया जाएगा और जमा में अन्य पासबुकों की तरह इसका निपटान किया जायेगा। जब भुगतान उप डाकघर में किया जाए, तो उप डाकघर द्वारा पासबुक मुख्य डाकघर की अभिरक्षा के लिए भेज दी जायेगी।

विवरण-II

(ख) नामांकन के अभाव में बचत बैंक खाताधारकों के आश्रित को भुगतान करने के नियम एवं कार्यविधि तथा भुगतान करने के लिए प्रदान की गई समयावधि

नामांकन के अभाव में मृत जमाकर्ता के नाम में बचत बैंक खाते में दर्ज राशि के दावे निम्न आधार पर किए जाएं।

(क) वैध साक्ष्य।

(ख) मंजूरी प्रदान करने वाले प्राधिकारी के विवेक पर 20,000 रु० तक की मंजूरी। यदि यह दावा 20,000/-रु० से अधिक का है तो दावेदार को सक्षम विधि न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने या इच्छापत्र का प्रमाण या मृत की संपदा की व्यवस्था का पत्र प्रस्तुत करने की सलाह देनी चाहिए।

उपर्युक्त (क) और (ख) की कार्यविधि नीचे दी गई है:—

I. वैध साक्ष्य द्वारा समर्थित दावे: जब किसी दावे के साथ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अधीन जारी किए गए उत्तराधिकार पत्र या इच्छा-पत्र या मृतक की सम्पत्ति के प्रशासन पत्रों के वैध साक्ष्य साथ लगे हुए हों और कोई नामांकन न किया गया हो, तो दावेदार से यह प्रार्थना की जाएगी कि वह एक आवेदन पत्र भरे। यह दावा प्रधान पोस्टमास्टर मंजूर करें चाहे वह दावा जमाकर्ता की मृत्यु की तारीख से तीन महीने की अवधि समाप्त होने से पहले पेश किया गया हो और चाहे वह कितनी भी रकम का क्यों न हो इसके लिए डाकघर प्रवर अधीक्षक या सर्किल के अध्यक्ष के साथ लिखा-पढ़ी करने की कोई जरुरत नहीं है। मृत्यु के तथ्य या जमाकर्ता की तारीख (यदि दस्तावेज में दर्ज हो), के संबंध में आगे कोई छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी पोस्टमास्टर अदायगी करने से पहले पेश किए गए वैध साक्ष्य के सही होने के बारे में और उसमें उल्लिखित भुगतान पाने वाले की पहचान के संबंध में अपनी तसल्ली कर लेगा। बचत बैंक नियंत्रण संगठन को दावा स्वीकार कर लिए जाने की सूचना भुगतान की मंजूरी के संबद्ध ज्ञापन की प्रतिलिपि भेज कर, दी जाएगी।

स्पष्टीकरण: वैध साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए "शेष" शब्द का आशय मृतक जमाकर्ता के खाते में उसकी मृत्यु की तारीख को जमा शेष होगा जिस पर पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान लगाया गया ब्याज पहले ही जोड़ा जा चुका हो किन्तु इसमें चालू वर्ष का ब्याज शामिल नहीं होगा।

टिप्पणी 1 : यदि दावेदार अपने दावे के समर्थन में मूल वैध प्रस्तुत न कर सकता हो तो वह अपने खर्चे पर उस सरकारी अधिकारी से, जिसकी अभिरक्षा में ऐसे दस्तावेज रहते हों, दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां लेकर उन्हें प्रस्तुत कर सकता है। यदि प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करने में कोई दिक्कत हो, तो वह मूल दस्तावेजों के साथ इन दस्तावेजों की साक्ष्यंकित प्रतिलिपियां मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा मिलान करने के लिए पेश कर सकता है। मंजूरी देने वाला प्राधिकारी ऐसे दस्तावेजों की साक्ष्यंकित प्रतिलिपि पर यह टिप्पणी देगा कि उसने मूल दस्तावेजों की जांच कर ली है और प्रतिलिपि सहीं है। दावेदार दस्तावेज किसी अन्य जिम्मेदार डाक अधिकारी से सामने भी साक्ष्यंकन करने के उद्देश्य से पेश कर सकता है जो साक्ष्यंकन करने के बाद हस्ताक्षर करेगा और अपनी मोहर लगाएगा।

टिप्पणी 2 : यदि नामांकन मौजूद हो या निर्धारित सीमाओं तक वैध साक्ष्य उपलब्ध हो, तो निम्न प्रवरण कोटि और उच्च प्रवरण कोटि के समयमान नायब पोस्टमास्टर ऐसे दावों को मंजूरी दे सकते हैं। अन्य मामले में संबंधित प्रधान पोस्टमास्टर के पास भेज दें, जिन्हें नामांकन या वैध साक्ष्य उपलब्ध होने की स्थिति में सभी दावों को मंजूर करने के अधिकार होंगे, उनकी रकम चाहे कितनी ही क्यों न हो।

II. वैध साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना दावे: (i) यदि कोई व्यक्ति, जो नामांकित न हो और उसने कोई वैध साक्ष्य पेश न किया हो और वह कोई दावा करे तो पोस्टमास्टर उसको दावा आवेदन फार्म (एस०बी०-84) देगा और उससे उस फार्म में उल्लिखित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उसे सक्षम प्राधिकारी को, यदि वह स्वयं दावे की मंजूरी देने के लिए सक्षम नहीं है, भेज देने के लिए निवेदन करेगा। यदि दावेदार किसी गांव में रहता हो तो उसे कहा जाए कि अपने निकटतम नायब पोस्टमास्टर से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करे जिसे आवेदन फार्म भेजने वाले पत्र की एक प्रतिलिपि भेजी जाएगी।

(ii) यदि कोई उत्तराधिकार-पत्र या इच्छा-पत्र प्रशासन पत्र उस अवधि के दौरान या मंजूरी की तारीख तक पेश न किया गया हो, तो जमाकर्ता को मृत्यु की तारीख से तीन महीने की अवधि समाप्त हो जाने के बाद दावा मंजूर करने में सक्षम अधिकारी बिना वैध साक्ष्य प्रस्तुत किए जिस सीमा तक दावा मंजूर कर सकते हैं उसका उल्लेख उनके नाम के सामने नीचे कर दिया गया है।

प्राधिकारी का नाम	सीमा
(क) समयमान नायब पोस्टमास्टर	500/-रु० तक
(ख) निम्न प्रवरण कोटि में नायब पोस्टमास्टर	1000/-रु० तक
(ग) कुछ प्रवरण कोटि में अराजपत्रित प्रधान पोस्टमास्टर/नायब पोस्टमास्टर	2000/-रु० तक
(घ) उच्च प्रवरण कोटि में उप पोस्टमास्टर (अराजपत्रित) बचत बैंक शाखा के इंचार्ज उच्च प्रवर कोटि में प्रेसीडेन्सी डाकघर के सहायक प्रेसीडेन्सी पोस्टमास्टर	2000/-रु० तक
(ङ) मुख्य डाकघरों में उप पोस्टमास्टर (राजपत्रित) बचत बैंक शाखा के इंचार्ज प्रेसीडेन्सी डाकघरों में उप-प्रेसीडेन्सी पोस्टमास्टर	5,000/-रु० तक
(च) राजपत्रित पोस्टमास्टर/डाकघर अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक, डाकघर/प्रेसीडेन्सी पोस्टमास्टर	10,000/रु० तक
(छ) डाक सर्किलों के अध्यक्ष/क्षेत्रीय निदेशक	20,000/रु० तक

(iii) विशेष प्रकार के ऐसे मामलों का निपटारा, जैसे कि नियमों में कोई कमी होना आदि, सामान्य ढंग से न किया जाए और ऐसे सभी मामले डाक-तार निदेशालय को आदेशों के लिए भेज दिए जाएं।

प्रधान पोस्टमास्टरों के अलावा अन्य प्राधिकारियों द्वारा निपटाएं जाने वाले दावों के मामले में पहले शेष राशि के सत्यापन के लिए ये दावे संबंधित प्रधान पोस्टमास्टरों को भेज दिए जाएं इसके बाद दावे के निपटारे के लिए आगे कार्यवाही की जाए।

टिप्पणी 1 : पोस्टमास्टर जनरल/क्षेत्रीय निदेशक डाक सेवा की 10,000 रु० से अधिक के दावों की स्वीकृति दे सकता है।

टिप्पणी 2 : इन सीमाओं के प्रयोजन के लिए, मंजूरी देने वाले प्राधिकारी का निर्धारिण करने के लिए जिस जमाकर्ता की मृत्यु के समय खाते में जमा रकम तथा जिस वर्ष मृत्यु हुई हो उससे पहले के वित्तीय वर्ष के अंत तक लगाए गए ब्याज को ध्यान में रखा जाए।

(IV) सक्षम प्राधिकारी दावे की मंजूरी उच्च प्राधिकारी को बताए बगैर दे देगा किन्तु वह दावा संदेहास्पद या विवादास्पद न हो तथा किसी नाबालिग विवाहित स्त्री या किसी नाबालिग की ओर से असली अभिभावक या अदालत से कानूनी तौर पर नियुक्त अभिभावक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने न किया हो। ऐसे मामले में सक्षम प्राधिकारी को चाहिए कि वह आवश्यक पूछताछ रिकार्ड कर दे। मंजूरी देने वाले प्राधिकारी दावे की अर्जी की जांच यह देखने के लिए करे कि:—

(क) बचत बैंक खाते के ब्यौरे जहां-कहीं भी आएं उन्हें सही-सही भरा गया है और पोस्टमास्टर ने उन्हें सत्यापित कर दिया है।

(ख) निकट सम्बन्धियों के ब्यौरे सही-सही भरे गए हैं।

(ग) दावे के फार्म के साथ उचित प्राधिकारी द्वारा दिया गया मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है।

(घ) उचित प्राधिकारी द्वारा दिया गया मृत्यु प्रमाण-पत्र साथ लगाया गया है और वह ठीक है। यदि निकट संबंधियों में से कोई संबंधी नाबालिग है या विक्षिप्त है तो विक्षिप्त अधिनियम के अंतर्गत अदालत द्वारा नियुक्त कानूनी अभिभावक या मैनेजर से, यथास्थिति विवरण-पत्र लेकर संलग्न किया जाए।

(ङ) विभिन्न विवरणों, घोषणाओं और दस्तावेजों का साक्ष्यंकन सही व्यक्तियों से कराया गया है और वह ठीक है।

(च) यदि खाता बंधक रखा गया हो, तो बंधक से छुड़ाने के संबंध में बंधकग्राही का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाए। यदि बंधकग्राही रकम का दावा पूर्ण या आंशिक रूप से करता है तो जितने का उसने दावा किया है तो उतनी रकम की अदायगी उसे की जाएगी। दावे के निर्णय के लिए कार्रवाई तभी की जाएगी जबकि बंधकखाता पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जुड़ा लिया गया हो।

(V) यदि निष्कर्ष में किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगे तो सक्षम अधिकारी दावेदार को आवश्यक मार्गदर्शन करते हुए दस्तावेज पूरे करने के लिए सीधे लिखा-पढ़ी करेगा। यदि दावे के आवेदन फार्म में उल्लिखित प्राधिकारियों ने आवेदन-पत्र और दस्तावेजों का साक्ष्यकंन किया हो, तो उन्हें आगे सत्यापन के लिए डाकघर निरीक्षक या डाक ओवरसियर के पास भेजना जरुरी नहीं है। साक्ष्यनकर्ता के हस्ताक्षर या सत्यापन स्थानीय शाखा पोस्टमास्टर या नायब पोस्टमास्टर कर सकता है।

III. शपथ-पत्र दावेदार की घोषणा या विधिवत् प्रतिज्ञापनः 20,000 रु० तक के दावे जिनमें कोई नामांकन नहीं है और कानूनी प्रमाण जैसे उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, इच्छा-पत्र का प्रमाण या सम्पदा का प्रशासन-पत्र नहीं दिए गए हैं — निर्धारित प्राधिकारियों की विवेकाधीन स्वीकृति के अन्दर आते हैं। इस प्रकार के दावे निर्धारित फार्म में किए जाते है। यदि दावे संबंधी कागजात पूर्ण नहीं हैं तो विभागी प्राधिकारियों द्वारा दावे और सभी संलग्न कागजात की जांच की सामान्य प्रक्रिया की बजाए सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 7 या सरकारी बचत अधिनियम, 1959 की धारा 10 अंतर्गत शपथ-पत्र पर दोवदार की घोषणा/विधिवत् प्रतिज्ञापन करने की दावेदार की सुविधा का यथास्थिति, दावे के शीघ्र निपटान के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

इसी तरीके से दावे के निपटान हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सभी स्वीकृतिदाता प्राधिकारियों के लाभ के लिए नीचे दी गई:—

(i) दावेदार दो का निर्धारित आवेदन-पत्र भरे और मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा आवेदन-पत्र में दिए गए सभी निकट संबंधियों का सहमति-कथन प्रस्तुत करें।

(ii) वह शपथ पत्र पर घोषणा करने या विधिवत् प्रतिज्ञापन के लिए किसी दावे स्वीकृतिदाता प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा। निम्नतम दावा स्वीकृति-दाता प्राधिकारी समयमान नायब पोस्टमास्टर होता है। दावे की राशि का विचार किए बिना, कोई भी दावा स्वीकृतिदाता प्राधिकारी शपथ/विधिवत् प्रतिज्ञापन दिला सकता है। दूसरे शब्दों में, देश में किसी स्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा निपटाएं जाने वाले 20,000 रु० तक के किसी दावे के लिए समयमान पोस्टमास्टर के सामने शपथ-पत्र पर घोषणा/विधिवत् प्रतिज्ञापन किया जा सकता है।

(iii) शपथ विधिवत् प्रतिज्ञापन दिलाने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

घोषणा करने वाले व्यक्ति को सूचित किया जाए कि झूठी घोषणा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। प्राधिकारी के यह स्पष्ट करने के बाद दावेदार दावे के आवेदन-पत्र में इस उद्देश्य के लिए दिए गए स्थान में अपना नाम और पता लिखेगा और प्राधिकारी की उपस्थिति में अपने दिनांकित हस्ताक्षर करेगा। तत्पश्चात् प्राधिकारी उसे प्रमाणित करेगा और उस पर अपनी पदनाम की मुहर लगाएगा। उसके बाद शपथ/विधिवत् प्रतिज्ञापन को दिलाया हुआ माना जाता है।

(iv) घोषणा किए जाने के पश्चात् प्राधिकारी द्वारा, यदि वह प्राधिकारी स्वीकृतिदाता प्राधिकारी नहीं है जिसने शपथ/प्रतिज्ञापन दिलाया है, दस्तावेजों सहित दावे का आवेदन-पत्र स्वीकृतिदाता प्राधिकारी को रजिस्ट्री डाक द्वारा भेज दिया जाएगा। दावे की स्वीकृति सीधे स्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा दी जा सकता है बशर्ते कि मृत्यु प्रमाणपत्र, सहमति कथन और अन्य कागजात व्यवस्थित हो और जमाकर्ता/धारक की मृत्यु की तारीख से तीन माह बीत गए हों। इन मामलों में आवेदन-पत्र में दिए गए निकट संबंधियों को कोई सूचना देना आवश्यक नहीं है और न ही कोई आगे जांच अपेक्षित है।

डाक वितरण प्रणाली में महिलाओं की नियुक्ति

1561. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष से देश में डाक वितरण प्रणाली में महिलाओं को नियुक्त करने के संबंध में गहन रूप से विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव में किन-किन प्रमुख प्रावधानों और सेवा-शर्तो को शामिल किया जाएगा;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आने वाले डाकघरों में महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी;

(घ) उक्त योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में गुजरात के किन-किन शहरों को शामिल किया जाएगा;

(ङ) क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) जी नहीं।